शैक्षिक समाचार
राजस्थान

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान– बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्री प्रेम प्रकाश वैष्णव प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विधालय खजवाना जिला नागौर ने राजस्थान सेवा नियम 8 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम प्रेम प्रकाश मिश्र किया है ।

जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–प्रथम) नागौर के अग्रेषित कमांक 1043 दिनांक 31.01.18 द्वारा की गई अभिशंषानुसार श्री प्रेम प्रकाश वैष्णव प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विधालय खजवाना जिला नागौर के राजकीय सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में इनका नाम श्री प्रेम प्रकाश वैष्णव के स्थान पर प्रेम प्रकाश मिश्र अंकित करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

भविष्य में श्री प्रेम प्रकाश वैष्णव प्रधानाचार्य से सम्बन्धित राजकीय आदेश/कार्यो में परिवर्तित नाम श्री प्रेम प्रकाश मिश्र सम्बोधित/जारी किये जावें ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/संस्था ए–2–7/नाम उपनाम संशोधन/2017 दिनांकः 09-02-2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1–उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर
2–जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम), नागौर
3–प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विधालय खजवाना जिला नागौर
4–श्री प्रेम प्रकाश मिश्र प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विधालय खजवाना जिला नागौर
5–सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु
6–अनुभाग अधिकारी वरिष्ठ अनुभाग
7–प्रभाग–बी
8–निजी ए
9–निजी/र

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान– बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्री छोटूराम प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय खानन जिला डूंगरपुर ने राजस्थान सेवा नियम 8 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम श्री छोटू राम जोधा किया है ।

श्री छोटूराम प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय खानन जिला डूंगरपुर के राजकीय सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में इनका नाम श्री छोटूराम के स्थान पर श्री छोटू राम जोधा अंकित करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

भविष्य में छोटूराम प्रधानाचार्य से सम्बन्धित राजकीय आदेश/कार्यो मे परिवर्तित नाम छोटू राम जोधा सम्बोधित/जारी किये जावें ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा/संस्था /ए–2–5–7/नाम उपनाम संशोधन/2017 दिनांकः 09-02-2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1–उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा उदयपुर
2–जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), डूंगरपुर
3–प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय खानन जिला डूंगरपुर
4–छोटूराम जोधा प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय खानन जिला डूंगरपुर
5–सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु
6–अनुभाग अधिकारी वरिष्ठ अनुभाग
7–प्रभाग–बी
8–निजी एवं रक्षित पत्रावली
9–निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान– बीकानेर

कार्यालय–आदेश

देवेन्द्र कुमारा मोची प्रधानाचार्य राजकीय उच्च मा विधालय दौलतपुरा प्रथम (ब्लाक मसूदा)अजमेर ने राजस्थान सेवा नियम 8 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम देवेन्द्र कुमार सॉखला किया है ।

देवेन्द्र कुमार मोची प्रधानाचार्य राउमावि दौलतपुरा प्रथम (ब्लाक मसूदा) अजमेर के राजकीय सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में इनका नाम देवेन्द्र कुमार मोची के स्थान पर देवेन्द्र कुमार सॉखला अंकित करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

भविष्य में देवेन्द्र कुमार मोची प्रधानाचार्य से सम्बन्धित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम देवेन्द्र कुमार सॉखला सम्बोधित/जारी किये जायें ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा/संस्था /ए–2–7/नाम उपनाम संशोधन/2016 दिनांक: 30-4-18

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1–उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा अजमेर
2–जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), अजमेर
3–प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय दौलतपुरा प्रथम (ब्लाक मसूदा) अजमेर
4–देवेन्द्र कुमारा सॉखला प्रधानाचार्य रा उच्च माध्यमिक विधालय दौलतपुरा प्रथम (ब्लाक मसूदा) अजमेर
5–सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु
6–अनुभाग अधिकारी वरिष्ठत अनुभाग
7–एभाग–ती
8–निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

शैक्षिक समाचार राजस्थान

शैक्षिक समाचार राजस्थान

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

MEMORANDUM

No. F.1(3)FD(Rules)/2017 **Jaipur, dated : 15 FEB 2018**

Subject:- Change/deletion of surname of female Government Employee - Rule 8A of the Rajasthan Service Rules.

The procedure for change of name of Government employees has been laid down vide Finance Department Memo No. F.1(12)FD(ER)/67 dated 10.04.1967. The matter regarding simplification of the procedure for change of surname of female Government employee on account of marital status has been examined and it has been decided to adopt the following procedure for addition/change/deletion of surname of a female Government employee :-

I. Addition/Change in surname only, on account of marriage/re-marriage of a female government employee:

The following requirements may be met for this purpose:-

(i) If the Government employee desires a change she should give a formal intimation to her appointing authority of her marriage and request for a change in her surname.

(ii) Particulars of the husband may be given for making necessary entries in the Service Book.

II. Deletion of surname or reversion to maiden name on divorce/separation or death of the husband of female Government employee.

Change may be permitted if a female Government employee gives:

(i) An intimation to the appointing authority regarding change in marital status; and

(ii) A formal request for reversation to her maiden name.

There is no prescribed form for items I & II above. Permission for change/deletion of surname of female Government employee shall be granted by the appointing authority.

By order of the Governor,

(Manju Rajpal)
Secretary to the Government
Finance (Budget)

नियमों को किया सरल

अब महिला कर्मचारी को अपने विवाह के प्रमाण के साथ पति के दस्तावेज मय साधारण प्रार्थना पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी को देना होगा। नियुक्ति अधिकारी इस आधार पर आदेश करके सर्विस बुक व सेवा रिकॉर्ड में नाम के साथ सरनेम बदलने के आदेश जारी करेंगे। इसी प्रकार अगर किसी महिला कर्मचारी की शादी टूटती है या पुनः विवाह होता है या कुछ और वजह से महिला कर्मचारी चाहे तो आसानी से अपना सरनेम बदल सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने 1967 के नियमों में संशोधन कर दिया है। इस आदेश पर राधाकृष्णन शिक्षिका सेना ने खुशी प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री महोदया का आभार प्रकट किया है। राधाकृष्णन शिक्षिका सेना की प्रदेश संयोजिका सुनीता भाटी ने आदेश का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार ज्ञापित किया है। संगठन की सरोज कुमावत, जानकी सावलानी, कौशल्या बालानी, हेमलता चौहान, नीतू शर्मा, प्रतिभा बालानी, तारा लवास आदि ने आभार व्यक्त किया है।

शैक्षिक समाचार राजस्थान

विभाग की पूर्वानुमति से ही होगा।

F1(2) RD/Rules/04 (RSR-) Dt 30.4.07

(vi) कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि पर पारदर्शी टेप लगाने के निर्देश, संशोधन वित्त विभाग की अनुमति से होगा। आ.दि. 21.2.12 (लेखाविज्ञ मार्च, 2012 पृष्ठ 1)

3. कर्मचारी द्वारा अपने नाम अथवा उपनाम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया— जो राज्य कर्मचारी अपना नाम बदलवाना चाहे अथवा अपने वर्तमान में संशोधन करना चाहता है वह उसके लिए एक बन्ध पत्र (डीड) भर कर ही औपचारिक रूप से अपने नाम/उपनाम में परिवर्तन करेगा। नियम 8 के अन्तर्गत राजकीय निर्णय संख्या 5 के अनुसार नाम/उपनाम में परिवर्तन के लिए बन्ध पत्र का प्रपत्र निर्धारित है। इस प्रपत्र में बन्ध पत्र भरना पड़ता है तथा उस पर ऐसे व्यक्तियों की साक्षी करानी चाहिए जिन्हें कार्यालयाध्यक्ष जानता हो। साक्षियों द्वारा बन्ध पत्र प्रमाणीकरण किया जाना चाहिये तथा इसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में व राजपत्र में कर्मचारी के स्वयं के व्यय पर किया जावेगा। राजपत्र में प्रकाशन के लिये उसे स्वयं को केन्द्रीय राजकीय मुद्रणालय से सम्पर्क करना होगा।

उपरोक्क्त औपचारिकताओं की अनुपालना के पश्चात् प्रस्तुत व्यक्तियों की सन्तोषजनक साक्षी एवं बन्ध पत्र के निष्पादन के बाद नया नाम/उपनाम रखने की राजकीय स्वीकृति दी जावेगी तथा उसके अनुरूप कर्मचारी से सम्बन्धित अभिलेखों में तद्नुसार प्रविष्टियाँ/संशोधन किया जावेगा। ऐसे बन्ध पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में लगायी जावेगी तथा महालेखाकार/निदेशक पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर को भी भेजी जावेगी। (नि.सं. 5 निमय 8)

4. अधिक आयु की नियुक्तियों के कारण पेंशन के मामले नहीं रोके जायेंगे— अधिकारियों द्वारा नियमों में प्रावधानों

वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता। बिना सक्षम स्वीकृति के जन्मतिथि में परिवर्तन करने पर संबंधित दोषी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सेवा पुस्तिका/सेवा–विवरणिकाओं में अंकित जन्मतिथि में काट–छांट को रोकने के लिए जन्मतिथि पर पारदर्शी टेप (Transparent tape) आवश्यक रूप से लगाने के निर्देश वित्त विभाग द्वारा दिनाँक 21 फरवरी 2012 को जारी किए गए हैं।

व्यय स्वयं कर्मचारी वहन करेगा। विलेख (deed) का आदर्श नमूना इस नियम में दिया गया है।

उपर्युक्त कार्यवाही के बाद ही नाम परिवर्तन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की जाएगी तथा सरकारी रिकॉर्ड में भी तदनुसार संशोधन कर दिया जाएगा। इस रिकॉर्ड की सत्यापित प्रतिलिपियाँ कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखी जाएंगी तथा महालेखाकार राजस्थान को इस बाबत् सूचित कर दिय जाएगा।

2.(a) 01.01.1979 को सेवा में पहले से ही कार्यरत कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका/सेवा विवरणिका में अंकित जन्मतिथि (चाहे वह किसी भी आधार पर व किसी भी प्राधिकारी द्वारा अंकित की गई है) को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। प्रशासनिक विभाग इस जन्मतिथि को भविष्य मे नियम 8(क)2(b) के अंतर्गत साक्ष्य माने गए रिकॉर्ड के आधार व वित्त विभाग की पूर्वानुमति के बिना संशोधित नहीं कर सकेंगे।

(b) (i) 01.01.1979 व उसके बाद सेवा में प्रविष्ठ होने वाले कर्मचारियों के संबंध में आयु उनके उच्च/माध्यमिक/हायर सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण–पत्र या किसी भी शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रथम प्रमाण पत्र के आधार पर तय की जाएगी।

(ii) उसके उच्च/माध्यमिक/हायर सैकेण्डरी/प्रथम बोर्ड परीक्षा प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि का उल्लेख नियुक्ति आदेश में आवश्यक रूप से करना होगा।

(iii) यदि पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सैकेण्डरी से कम है, तो नगर निकाय/पंचायत/विद्यालय द्वारा जारी जन्मतिथि के प्रमाण–पत्र को स्वीकार किया जा सकेगा। यदि इनमें से कुछ भी उपलब्ध नहीं हो तो कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति के समय उसके द्वारा घोषित की गई जन्मतिथि को स्वीकार कर लिया जाएगा।

(c) किसी वर्कचार्ज्ड कर्मचारी को नियमित कर दिए जाने पर उसकी सेवा पुस्तिका/सेवा विवरणिका में वर्कचार्ज्ड कर्मचारी के रूप में अंकित जन्मतिथि को स्वीकार कर लिया जाएगा एवं उसे भविष्य में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

कर्मचारियों की सेवा–पुस्तिका में जन्मतिथि में कांट–छांट से उनके पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में कठिनाई होती है। कर्मचारी की जन्मतिथि में कोई भी परिवर्तन

- **राज्य कर्मचारी द्वारा नाम बदलने की प्रक्रिया** – जब कोई कर्मचारी नया नाम धारण करना चाहे अथवा अपने वर्तमान नाम को संशोधित करना चाहे तो उसे एक विलेख (deed) के द्वारा इस परिवर्तन को औपचारिक रूप से अपनाना होगा। यह विलेख दो गवाहों (यथासंभव कार्यलयाध्यक्ष के द्वारा परिचित) द्वारा सत्यापित होना चाहिए तथा इसकी सूचना एक स्थापित स्थानीय समाचार–पत्र तथा राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशित कराई जानी चाहिए। राजपत्र में प्रकाशन के लिए कर्मचारी को राजकीय मुद्रणालय के अधीक्षक से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित करना चाहिए। समाचार–पत्र व राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन का

शैक्षिक समाचार राजस्थान